



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012022-232871
CG-DL-E-25012022-232871

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943

No. 321]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/ MAGHA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

का.आ. 329(अ).—भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, श्री प्रेम कांत सूर्य, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम, बिहार सरकार के स्थान पर श्री नंद किशोर चौधरी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, गया सदर, बिहार सरकार को बिहार राज्य में गया, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में आने वाले क्षेत्रों के लिए मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड की जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) हेतु पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के अंतर्गत, अतिरिक्त कार्यभार आधार पर सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसे जारी करने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/242/2021-जीपी-II (ई-41187)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2022

S.O. 329(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Nand Kishor Choudhary, Land Reform Deputy Collector, Gaya Sadar, Government of Bihar vice Shri Prem Kant Surya, Land Reform Deputy Collector, Sasaram, Government of Bihar to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 on additional charge basis for Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) of M/s. GAIL (India) Limited for the areas falling under District – Gaya, Rohtas, Aurangabad and Kaimur in the State of Bihar.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/242/2021-GP-II (E-41187)]
RAKESH MISHRA, Under Secy.